



2026:AHC:65837

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5532 वर्ष 2026

तुषार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशुतोष कुमार शुक्ला, पुनीत कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार शुक्ला और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा और उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति के अधिवक्ता सुश्री कृति गुप्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत याचिका, आवेदक की ओर से मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद में दर्ज अपराध संख्या-515 (3) बी.एन.एस. और धारा 3/4(2) पाँक्सो अधिनियम के तहत उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि पहले सूचनाकर्ता को नोटिस दिया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पीड़ित के चिकित्सा साक्ष्य प्राथमिकी के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता ने भी धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में प्रवेश के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई है। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, जो 14.10.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को पीड़िता पर भेदक यौन हमले की भूमिका सौंपी गई है, जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष है।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

7. प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता पर यौन हमला किया है, जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष है, हालांकि, पीड़िता की अगली तारीख को चिकित्सकीय जांच की गई है और चिकित्सा साक्ष्य प्राथमिकी के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। आवेदक की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई है। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में प्रवेश के संबंध में कुछ नहीं कहा है। आवेदक 14.10.2025 से जेल में बंद है।

8. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- तुषार को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा कि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)